Chaibasa News : गोल्डन चिल्ली रेस्टोरेंट से तीन किलो नकली पनीर जब्त, 10 हजार जुर्माना लगा

चाईबासा. उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने मंगलवार को चाईबासा के बाबा मंदिर स्थित स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जायका रेस्टोरेंट, गीतिलपी स्थित गोल्डन चिल्ली रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स फैमिली रेस्टोरेंट, संवैया लाइन होटल व तांबो चौक स्थित कावेरी कंचन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान गोल्डन चिल्ली रेस्टोरेंट से लगभग 03 किलो नकली पनीर जब्त किया गया. पनीर को नष्ट कर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं संवैया लाइन होटल से सरसों तेल व कश्मीरी मिर्च का नमूना संग्रह किया गया. सस्ते सामान के लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें होटल व ढाबा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नकली पनीर का कारोबार करने वालों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि नकली व मिलावटी खाद्य सामग्री बेचना बंद करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई होगी. वहीं, रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों को चेताया कि सस्ते सामान के लालच में आकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें. खुला पनीर का प्रयोग नहीं करें. ब्रांडेड कंपनी का पैकेज पनीर एक्सपायरी डेट चेक करने के उपरांत ही प्रयोग करें. होटल या रेस्टोरेंट में गंदगी या गड़बड़ी दिखे, तो शिकायत करें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि किसी खाद्य कारोबारी की ओर से मिलावटी, एक्सपायर्ड या खराब गुणवत्ता की खाद्य सामग्री दी जाती है अथवा होटल, रेस्टोरेंट में गंदगी मिलती है, तो साक्ष्य के साथ सदर अस्पताल स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं. शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जायेगा.

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/chaibasa/fake-paneer-seized-from-golden-chilli-restaurant